Annex – II

संं0 17/2/इनक्लूजन/2014/आर.यू.–3

"पुरान" समुदाय को झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने से संबंधित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का दिनांक 25.07.2014 से 02.08.2014 पर रिपोर्ट।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं. 12026/23/2012–सी एण्डएलएम–1 दिनांक 16.01.2014 में 'पुरान' समुदाय को झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित करने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उक्त प्रस्ताव पर टिप्पणी/विचार मांगे।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उपरोक्त पत्र के साथ निम्नलिखित पत्रचारों की प्रतियां सलग्न की–

1. कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र सं. 627 दिनांक 11.12.2001 में 'पुरान' समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव।
2. भारत के महापंजीयक के पत्र 8/1/2004–एसएस (झारखण्ड) दिनांक 02.12.2005 का पत्र प्रस्ताव को वापस करना।
3. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत के महापंजीयक के कार्यालय की उपरोक्त टिप्पण को झारखण्ड सरकार को दिनांक 27.09.2007 पर न्यायोचितता/स्पष्टीकरण मांगते हुए वापस करना।
4. झारखण्ड राज्य सरकार के पत्र संख्या 7/5–02/ज.नि.06/2001का.11652 दिनांक 12.12.2012 के प्रस्ताव का दोबारा स्पष्टीकरण/उपयुक्तता देना।
5. भारत के महापंजीयक के पत्र संख्या 8/1/ 2013–एसएस (झारखंड) दिनांक 08.01.2014 में 'पुरान' समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने का समर्थन।

उपरोक्त पर कार्यवाही करते हुए तथा Inclusion and Exclusion की modalities को मद्देनजर रखते हुए दिनांक 23.01.2014 को आयोग की 52वीं बैठक में 'पुरान' समुदाय को झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए मद संख्या 6 अनुसार चर्चा की गई। बैठक में अवगत कराया गया कि भारत के महापंजीयक ने 'पुरान' जाति को झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित किए जाने के बारे में राज्य सरकार से वर्ष 2005 में प्राप्त प्रस्ताव से इस आधार पर असहमति व्यक्त की थी कि उक्त समुदाय 'भुइया' समुदाय का पर्यायवाची है जो कि राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित है। इस संबंध में झारखण्ड सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण/उपयुक्तता के अनुसार अब भारत के महापंजीयक ने अपने पत्र सं0 8/1/2013–एसएस (झारखंड) दिनांक 08.01.2014 में पुरान समुदाय को राज्य की अनुसूचित जनजातियों

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
...अनुसूचित जनजाति आयोग

की सूची में सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर समर्थन निम्नलिखित टिप्पण देते हुए किया है–

1. It is true that Purans live in multi ethnic villages along with members of other castes and tribes. They also reportedly maintain Jajmani (Patron-client) relationship with different occupational castes of the village. Different rites and rituals associated with birth, marriage and death in Purans are performed with the help of Brahman as well as with their caste priest known as Pahan. And they also avail the assistance of different occupational castes such as Nai, Kumhar etc. during marriage and in post death rites. Purans speak their own dialect known as Puran Boli which is an admixture of Oriya, Hindi and Panch Pargania (one of the regional languages of Jharkhand). They also speak Mundari, Hindi and Panchparganiya.

2. A closer analysis suggests that many plain dwelling tribes like Kisan, Munda, Santhal, Mahali, Bhumij etc. of eastern States have interspersed with Hindu Castes and have close socio-cultural interaction with the later. Still they are enjoying the status of Scheduled Tribes with considerable change in their cultural traits.

3. The above information and analysis suggest that Purans have distinct culture having traces of some primitive traits noticeable in their rites and rituals, custom of bride price, existence of community priest, folk deities, traditional Political Council, totemistic exogamous clans etc. They fulfil the criteria laid down by the Lokur Committee for identification of a Community as tribes

4. Keeping in view the facts stated above we may support the inclusion of Puran Community in the Scheduled Tribes list of Jharkhand.

उपरोक्त परिपत्रों को विचार करते हुए आयोग की दिनांक 23.01.2014 को हुई 52वीं बैठक में निर्णय लिया कि 'पुरान' समुदाय की आबादी वाले क्षेत्रों में जाकर समुदाय के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए एक टीम आयोग से जाएगी।

रामेश्वर उरांव
डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

उपरोक्त निर्णयानुसार, आयोग के माननीय अध्यक्ष, डा0 रामेश्वर उरांव, श्री भैरू लाल मीणा, सदस्य, श्रीमती के.डी. बन्सौर, निदेशक एवं श्री एस.आर. तिरिया, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची ने पुरान समुदाय को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने पर उनकी आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक एवं शैक्षणिक दशा तथा उनके रीति–रिवाजों, परम्पराओं पर पुरान समुदाय की वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए झारखण्ड राज्य का दिनांक 25.07.2014 से 02.08.2014 दौरा किया ।

'पुरान' जाति मुख्यत: रांची जिले के 4 तथा सिंहभूम जिले के 6 सीडी ब्लॉक में निवास करती है। प्रखंडों के नाम और उनकी जनसंख्या की सूचना–

क्र.सं.	प्रखण्ड का नाम	जिला का नाम	पुरूष	महिला	योग
1.	तमाड़	रांची	2589	2650	5239
2.	सेनाहातु	रांची	2538	2506	5044
3.	बुण्डू	रांची	99	106	205
4.	अड़की	खूँटी	1390	1381	2771
5.	ईचागढ़	सरायकेला खरसवाँ	1008	986	1994
			7624	7629	15253

उपरोक्त प्रखण्डों में निम्नलिखित गांव हैं–

तमाड़ प्रखण्ड, रांची– नवाडीह, मुरलीडीह, आमलेशा, बोधडीह, सामारडीह, सारजमडीह, पाड़रानी, पोड़का, लोहड़ी टिम्पुर, पारासी, लुंगटू, डिम्बरा, काड़ेडीह, मानकीडीह, रूगड़ी, बुरूडीह (रूगड़ी), जादोडीह, मारधान, चिरगालडीह, गांगो, गांगो बुरूडीह, मल्हान भुंइयाडीह, बाबुरामडीह, पालना, नवागढ़, दुवारसीनी, जोड़बेड़ा, रड़गांव, दाड़िया, कोरलोन्दा, रांगामाटी, पेड़ाईडीह, डोकापोटोम, हुरूणडीह।

प्रखण्ड सोनाहातु, रांची– बारेन्दा, उलीडीह, दुलमी, बोंगादार, महुलडीह, मानकीडीह, टांगटांग, पण्डाडीह, रूगड़ी, माहिल, चोकाहातु, त्रिलिंगसेरेंग, पापरीदा।

प्रखण्ड बुण्डू, रांची– गोंसाइडीह, तैमारा

प्रखण्ड अड़की, खूँटी– सिरकाडीह, मारांगपीड़ी, सिन्दरी, पिस्काहातु, नौढ़ी, रांगामाटी, पुरनानगर, पेटुपाड़ा, कुजियाम्बा

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

प्रखण्ड ईचागढ़, सरायकेला खरसवाँ– पुरानडीह, रूगड़ी, डुमरडीह, पीलीद, चातम, रहड़ाडीह, जोजोडीह, विद्री, दिनाई पुरानडीह, अमनदीरो।

यह जाति घासी, स्वासी, धोबी, मुण्डा, महली व लोहरा आदि अनुसूचित जनजातियों के साथ गांवों में निवास करती है। अतः आयोग ने सर्वेक्षण के लिए तमाड़ ब्लाक, मारांगपीड़ी सिंदरी टोला तथा कुडियंबा गांव समिति अरकड़ी का दौरा किया तथा ग्राम में पुरान जाति, उनके प्रतिनिधियों (पुरान विकास समिति) से चर्चा की।

तमाड़ ब्लॉक, मारांगपीड़ी सिंदरी टोला–दिनांक 31.07.2014

आयोग ने दिनांक 31.07.2014 को तमाड़ ब्लॉक मारांगपीड़ी सिंदरी टोला ग्राम काडयावा समिति अरकड़ी में ग्रामवासियों एवं जन प्रतिनिधियों से जानकारी ली और दिनांक 31.07.2014 को तमाड़ होते हुए पुरान समुदाय के लोगों से मिले।

मारांगपीड़ी सिंदरी टोला गांव में परम्परागत तरीके से अर्थात् लोटा पानी, ढोल बाजे, हल्दी पानी से पैर धोया। पत्तों का मुकुट लगाकर नाच गान के साथ अतिथि का स्वागत किये। कर्मा डांस किया गया। गांव में पुरान भाषा का प्रयोग किया जाता है। गांव की जनसंख्या महिला एवं बच्चों समेत 200 है। गांव के अखाड़ा में अतिथि को बैठाया गया जहां पर पर्व आदि के समय सभी गांववासी जमा होकर कार्यक्रम करते हैं। सरना पूजा की जाती है सरहुल, बुरू, कर्मा पर नाच गान किया जाता है। श्रीमती अग्नि देवी से बातचीत की जिसने बताया कि गांव में दो जाति के लोग हैं मांझी एवं पुरान। गांव का गोत्र साल है इसके अलावा गांव में मुंडा जाति भी है। मुंडा लोगों का भी महत्व है। 30–32 मुंडा लोगों का परिवार है। प्रखण्ड में पुरान की जनसंख्या 2004 में 14,000 बताई गई थी। पुरान लोगों के संबंध उड़ीसा के आस–पास के जोन एरिया में है। पुरान परिवार से उड़ीसा में शादी–विवाह होता है। पुरान गोत्र चील, रानीचोगी, गुडरिया, कच्छप, बेतरिया, धंध, नाग, गोंड है। शादी–विवाह पाहन के द्वारा किया जाता है। ब्राह्मण संदूर मांग भरवाते हैं। पाहन ही शादी में शपथ दिलवाते हैं उसके बाद शादी सम्पन्न होती है। धान या चावल की माप 40 पैला में एक काठ होता है जो शादी में दिया जाता है। पुरान को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग किसी में भी नहीं रखा गया है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका जाति पुरान दर्ज है। शादी–विवाह में बिचौलियों की जिम्मेदारी होता है वे वर ढूंढ़ के लाते हैं और पसंद होने पर बात आगे बढ़ायी जाती है। सवा पैसे का टीका प्रचलन था आज के समय में 7, 11 और 21 रूपए का प्रचलन हो गया है। वर पक्ष से लड़की पक्ष में आते हैं और धुनष तीर सजाकर लड़का का भेज देते है। शादी होती है बारात 3 दिन रहते है सखुआ का मड़वा बनाते हैं और बारात में पुरूष जाते हैं खाना–पीना होता है। सिंदूर देना होता हैं जो

डॉ. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

विवाह करते हैं। विदाई पाहन के द्वारा होता है। तीसरा दिन सूप झूल लेकर गांव में घुमाया जाता है तब गांव को स्वीकार होता है।

कर्मा, सरना पूजा होती है। शमशान एक है। छाई देख हरगड़ी भूतल तेरहवी माता को खाना खिलाया जाता है। 3 बूंद शराब पूरखा एवं गांव देवता को देते हैं। व्यवसाय पता, दोना और दातून बेचना है। गांव में सभी गरीब हैं तथा सरकारी नौकरी में कोई व्यक्ति नहीं हैं। प्राइमरी स्कूल बूंडू तमाड़ में है। लड़कियों को सरकार की तरफ से साईकिल मिली हुई है। गांव में महिला सरिता, बिन्दु मणि और काली देवी से बात की।

कुडियंबा गांव समिति अरकड़ी दिनांक 31.07.2014

श्रीमती सत्या भामा देवी पुरान गांव की मुखिया हैं। गांव के चारों तरफ आम के पेड़ होने के कारण गांव का नाम कुडियंबा पड़ा। गांव का पाहन इनक्यास है। गांव में गुड़ी कर्मा पेड़ अगर टूट भी जाती है तो उनका लकड़ी नहीं जलाते हैं क्योंकि यह कर्मा पेड़ उनके लिए पूजनीय है।

परम्परागत रूप से इसी आदिवासी तरीके से नाच–गान कर स्वागत किया गया। महाभारत गोत्र मुस्ठी है। मान रानी चिरोई, गोत्र रानी चिरोई, चाको गुडरिया, कुम्हार आदि। बसपोल पुरान पहान हैं। शव को जलाते है ज्यादतर शव को दफनाया जाता है। अस्थियां अगर सामर्थ्य है तो गया ले जाते हैं। व्यवसाय खेती–बाड़ी करना। मिडिल स्कूल में चंद्रशेखर पुरान बोकारो में नौकरी करते हैं से बातचीत हुई।

राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा में डब्ल्यूडी–1/सी/101/96–1397 दिनांक 11.03.1997 06/98/क्र.129 पटना दिनांक 10.01.2000 के अनुसार रौतिया एवं पुरान का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसी के अन्तर्गत छात्रवृति एवं शिक्षा का लाभ प्रदान होता है।

उपरोक्त गांवों के दौरे के द्वारा जानकारी से ज्ञात होता है कि पुरान समुदाय के व्यक्तियों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार पुरान जाति मुख्य रूप से रांची जिले के अड़की, तमाड़ सोनाहातु तथा बूण्डू प्रखण्डों में तथा सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा, घाटशिला पोटका, चांडिल, ईचागढ़ तथा करायकेला प्रखण्डों में निवास करती है। पुरान जाति प्रायः अन्य जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ गांव में निवास करती है।

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

विश्लेषण–

सामाजिक स्थिति – पुरान जाति एक अन्तर्विवाही जाति है। इस जाति के सामाजिक संगठन में गोत्र एक महत्वपूर्ण सामाजिक ईकाई है। इस जाति में समगोत्रीय विवाह निषेधित है। इस जाति के बीच कन्या मूल्य का प्रचलन है। वर पक्ष स्वजातीय अगुआ के माध्यम से कन्या की खोज करते हैं। इस जाति में विनिमय विवाह, विधवा विवाह, सगाई विवाह, देवर विवाह तथा साली विवाह का भी प्रचलन है। इस जाति के विवाह संस्कार में मड़वा, मटफोर तथा सिन्दूर दान प्रमुख संस्कार है। पुरान जाति के बीच विवाह सम्पन्न कराने में ब्राह्मण तथा पुरान जाति के पाहन दोनों की भूमिका होती है।

शिशु के जन्म के नौ दिनों बाद नरता का आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर संबंधियों, जाति के अन्य सदस्यों तथा गैर–जातीय मित्रों को भोज देने की प्रथा है। भोज में प्रायः चावल, दाल, सब्जियों, मुर्गे, बकरे का गोश्त, हड़िया, महुआ की शराब इत्यादि शामिल किये जाते हैं।

पुरान जाति के लोग शव को या तो जलाते हैं या गाड़ते हैं मृत्यु संस्कार के अन्तर्गत दशकर्म तथा बरखी जैसे कर्म काण्ड ब्राह्मण द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। बरखी के अवसर पर संबंधियों, जाति के अन्य सदस्यों तथा गैर–जातीय मित्रों को सामुहिक भोज दिया जाता है।

पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित वैधानिक पंचायतों में भी पुरान जाति के सदस्य इन दिनों मुखिया तथा सरपंच के पदों पर निर्वाचित किये गये हैं। ग्राम के अन्तर्जातीय विवाहों के समाधान में इन वैधानिक पंचायतों की भी भूमिका होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के चार दशक बाद भी पुरान जाति के बीच समुचित शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया है।

धार्मिक स्थिति–पुरान जाति के लोग कर्मा, सोहराय, बुरू पूजा, जितिया, सरहुल, नवाखानी, मनता पूजा, गोहाल पूजा, माघ पर्व, पूस पर्व, दशहरा, होली, रामनवमी इत्यादि पर्व मनाते हैं। इस जाति का अपना पाहन भी होता है, जो इनके परम्परागत पर्वों तथा धार्मिक संस्कारों का सम्पादन करता है। पुरान जाति द्वारा हिन्दु धर्म से प्रभावित पर्वों के सम्पादन में ब्राह्मणों की सेवा प्राप्त की जाती है। पुरान जाति द्वारा मनाये जाने वाले हिन्दु धर्म से प्रभावित पर्व बिहार की बेदिया अनुसूचित जनजाति द्वारा मनाये जाने वाले हिन्दू धर्म से प्रभावित पर्व के जैसे ही है। बेदिया अनुसूचित जनजाति के लोग भी जितिया तथा सत्यनारायण पूजा का सम्पादन ब्राह्मणों से इन दिनों कराने लगे हैं। विवाह के अवसर पर भी बेदिया जनजाति के लोग ब्राह्मण की सेवा प्राप्त करते हैं। पुरान जाति अपने परम्परागत पर्वों के सम्पादन के सिलसिले में

रामेश्वर उरांव 3/18
डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

मुर्गी, बकरे, भेड़, सुअर इत्यादि की बलि देती हैं तथा हड़िया चढ़ाते हैं। पुरान जाति के स्त्री–पुरूष गांव के सामूहिक या जातिगत अखाड़े में विभिन्न पर्वों के अवसर पर नाचते गाते हैं। पुरान जाति सामाजिक अस्पृश्यता का शिकार नहीं है।

पुरान जाति के बीच परम्परागत जातीय राजनैतिक संगठन का अस्तित्व देखने को मिलता है, जिसके अन्तर्गत तीन स्तरीय वंशागत जातीय पदाधिकारी (1) मान, (2) मांझी (3) गंझू होते हैं। यह राजनीतिक संगठन जातिगत प्रतिमानों तथा मूल्यों के आधार पर जातीय सकारात्मक को बनाये रखने का काम करता है।

आर्थिक स्थिति– पुरान जाति के लोगों की मौलिक पेशा कृषि है। वे पारम्परिक ढंग से कृषि औजारों का इस्तेमाल करते हैं। खेती लायक जमीन तैयार करने के लिए लकड़ी से बना पट्टा (करहा), हेंगा (मेईर) का इस्तेमाल करते हैं। सिंचाई के लिए बांस एवं लकड़ी का बना डोंगा और सिनी लट्ठा–कुंडी का प्रयोग करते हैं। जबकि अनाज भंडारण के लिए पुवाल का मोटा रस्सी (बिरनी) से बना वांईद (मोरा) प्रयोग होता है। यह उनका प्रिमीटिभ टेक्नोलोजी बेस्ड है।

पुरान जाति की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित कृषि के अलावे इस जाति के लोग कृषि श्रमिक व अन्य अकुशल श्रमिक निर्माण ईंट भट्ठा, वन इत्यादि, लघु व्यापारी, धान–चावल का क्रय–विक्रय तथा सरकारी व गैर–सरकारी सेवकों के रूप में भी कार्यरत हैं। इस जाति के सदस्य बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी पालने का भी काम करते हैं। इनके अलावा वे शिकार तथा मछली पकड़ने का भी धंध करते हैं। पुरान जाति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।

झारखण्ड के संदर्भ में प्रतिवेदित पुरान जाति में आदिम विशेषताएं एवं विशिष्ट संस्कृति पायी जाती है। पुरान जाति के लोग जिस ग्राम एवं टोले में रहते हैं उस गांव में मूल बासिन्दा होने का प्रमाण हड़गड़ी स्वरूप विद्यमान है जो अनुसूचित जनजाति होने का अकाट्य प्रमाण है। इतना ही नहीं इस जाति के लोग तमाड़ प्रखण्ड अन्तर्गत टिमपूर, चिरगालडीह इत्यादि गांवों में मुण्डारी खुटकट्टीदार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। झारखण्ड के अन्य जनजातियों की तरह पुरान जाति समाज में भी उनका अपना जाति पुरोहित है जिसको पाहन कहा जाता है, जहां जाति समाज में शादी–विवाह एवं धार्मिक अनुष्ठनों के सम्पादन में पाहन की भूमिका रहती है। झारखण्ड के प्रस्तावित पुरान जाति के बीच अस्पृश्यता का प्रचलन नहीं है।

भौगोलिक स्थिति– आज के दिन में जिस ग्राम, प्रमुख एवं जिला में पुरान जाति के लोग निवासरत है, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन होने से उनके बीच भौगोलिक पृथकता की कमी होती दिखाई दी। किन्तु जिस पुरान जाति को 1901 की जनगणना प्रतिवेदन में दर्शायी गयी है, उस वक्त न

रामेश्वर उरांव
डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

केवल पुरान ग्राम बल्कि सम्पूर्ण छोटानागपुर डिवीजन भौगोलिक पृथकता के दायरे में था। वर्तमान परिवेश में उनके आवास क्षेत्र उस रूप में आ गया है, जो अन्य जनजातियों का क्षेत्रीय परिवेश है।

भाषा– पुरान जाति की अपनी भाषा है जिसे "पुरान बोली" कहा गया है। इस भाषा को पुरान जाति के अलावे अन्य समुदाय के लोग अपने व्यवहारित जीवन में सामान्यतः उपयोग नहीं करते हैं। चूंकि झारखण्ड राज्य में पुरान जाति के लोग सिर्फ पंचपरगनिया क्षेत्र में है जहां की क्षेत्री भाषा पंचपरगनिया है। इस भाषा में बंगला, हिन्दी, उड़िया और छिटपूट स्थानीय मुण्डारी भाषा भी मिश्रित है। पुरान समुदाय महाभारत से जुड़ा हुआ मानते है तथा महाभारत से प्रेरित लोक गीत गाते है।

पुरान जाति का अपना जाति पुरोहित होता जिसे पाहन कहा जाता है जिनके द्वारा जाति समाज धार्मिक अनुष्ठान शादी–विवाह सम्पादित होता है। कहीं–कहीं ब्राह्मण द्वारा भी ये कार्य सम्पादित किए जाते हैं। किन्तु वे पुरान जाति के यहां भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और ब्राह्मण के द्वारा सम्पादित कार्यों के बाद जातीय परम्परा के निर्वाह पाहन द्वारा होता है। जैसे–पुरान जाति में शादी–विवाह के लिए लड़की खोजा जाता है। लड़की खोजने के लिए एक अगुवा (दुतामदार) होता है। लडकी पसंद होने पर शादी की बात बढ़ायी जाती है। इनमें बधू मूल्य देने की प्रथा है। वैसे ही मरण संस्कार के सम्पादन में ब्राह्मण जहां मृत आत्मा को स्वर्गवासी बना देते हैं वहीं पुरान जाति के लोग पाहन अथवा बुजुर्ग के नेतृत्व में मृत आत्मा को घर के अन्दर बुलाकर घर के उत्तर पूर्व के कोना में स्थापित करते हैं जिसे छाया भितराना कहते हैं और पूर्वजों के साथ मिलान करते हैं जिसे 'पितर मिलौनी'कहते हैं। इस तरह से अन्य सामाजिक एवं धार्मिक परम्पराएं हैं जो आदिम विशेषताएं एवं विशिष्ट संस्कृति का प्रमाण बनता है।

दूसरों के सम्पर्क में संकोचन– पुरान जाति के बीच गांव में जो भी सामाजिक संस्कार एवं पर्व–त्योहार इत्यादि का आयोजन होता है, उस अवसर पर गांव के अन्य समुदाय के लोगों का भी सहयोग रहता है और खान–पान में भी छूआछूत की भावना नहीं है। किनतु बिन बुलाए किसी के भोज–भात में न पुरान और न अन्य सामान्य जाति सरीक होते हैं। आमंत्रित सदस्यों में भी पुरान जाति किसी के यहां जाने के लिए सोचता है। सहयोग की भावना रखता है, किन्तु बिना इजाजत के सहज भाव से उनके घर आंगन में प्रवेश नहीं करता है। यह उनका संकोचन की भावना ही तो है।

शैक्षणिक स्थिति– 'पुरान' जाति के लोग विशेषतः अपने बच्चों को कृषि, पशुचारणों तथा घरेलू कार्यों में संलग्न रखते हैं। अशिक्षा के कारण इनके अभिभावक भी शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। फलतः वे अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति सचेत

डा० रामेश्वर उरांव
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

नहीं होने देते हैं। क्योंकि परिवार में अर्थाभाव की स्थिति सदैव बनी रहती है। शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण इस समुदाय के लोगों का शासकीय सेवाओं, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि तथा राजनीतिक क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व नगण्य है।

निष्कर्ष

1. झारखण्ड सरकार के पत्र सं0 1/सी.–101/96/क1397 दिनांक 11/03/1997, बिहार सरकार कल्याण विभाग के पत्र संख्या 4/जा.नि. –0061/931क–129 पटना दिनांक 10/01/2000 एवं कल्याण विभाग संचिका के पत्र संख्या 4/जा.नि./30/2004–2304 रांची दिनांक 20/09/2012 के अन्तर्गत रौतिया और पुरान को आदिवासियों की भांति छात्रवृति, आवासीय विद्यालय सुविधाए, चिकित्सा अनुदान व कानूनी सहायता आदि तथा कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृति योजनाओं की सभी सुविधाए दी जा रही है। क्योंकि पुरान समुदाय अनुसूचित जनजाति के मानदण्डों को पूरा करता है।

2. आयोग ने पाया कि पुरान समुदाय के लोगों का जीवन झारखण्ड राज्य की अन्य जनजातियों की परिस्थितियों के अनुरूप/अनुसार है तथा इनमें जनजातीय मानदण्ड/लक्षण विद्यमान है।

3. झारखण्ड राज्य सरकार तथा भारत के महापंजीयक के प्रस्तावित विचार निर्धारित मानदण्डों/लक्षणों को समर्थन करते हैं।

4. आयोग उपरोक्त विश्लेषणों/सर्ववेक्षण विचारों, मानदण्डों/लक्षणों, परम्पराओं से पुरान समुदाय को जनजातीय अनुरूपता में पाते हुए संस्तुति/समर्थन करता है कि पुरान समुदाय को झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाए।

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली